प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनेश जोशी पुत्र श्री रामस्वरूप जोशी, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023) दिनांक-04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनेश जोशी पुत्र श्री रामस्वरूप जोशी, ग्राम-बस्वारी, थाना-मुस्करा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। दिनांक 18.12.1999 को अभियुक्तगण बदमाश ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल सवारों को रास्ते में लूट रहे थे, उसी समय बदमाशों व पुलिस में मुठभेड़ हुई, बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से गोली मारकर सब इन्सपेक्टर नन्दलाल राय की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-70/2000 में भा0द0वि0 की धारा-396 व 2-बी. 10/12 डी.ए.ए एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०से०) कोर्ट सं0-01, महोबा के आदेश दिनांक 29.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.11.2008 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया।(2) केस नं0-968/2006 धारा-25 आर्म्स एक्ट में मा0 ए.सी.जे.एम. हमीरपुर द्वारा 01 वर्ष, 06 माह का कारावास। (3) केस नं0-1674/2006 धारा-25 आर्म्स एक्ट में मा0 ए.सी.जे.एम. हमीरपुर द्वारा 01 वर्ष का कारावास। (4) केस नं0-12/2004 में भा0द0वि0 की धारा-411 में मा0 स्पेशल जज डी.डी.ए एक्ट, हमीरपुर द्वारा 03 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 07.06.2023 तक 17 वर्ष, 01 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्च्तम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) में प्रेषित की गयी है, उक्त बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, रिहा होने पर पुनः अपराध में संलिप्त होकर शांति भंग कर सकता है। जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 18.12.1999 को अभियुक्तगण बदमाश ट्रैक्टर व मोटर साइकिल सवारों को रास्ते में लूट रहे थे। उसी समय बदमाशों व पुलिस में मुठभेड़ हुई। बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से गोली मारकर सब इन्सपेक्टर नन्दलाल राय की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनेश जोशी पुत्र रामस्वरूप जोशी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनेश जोशी (बन्दी संख्या-1307/2014) पुत्र श्री रामस्वरूप जोशी, निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-178/2024/3787(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0)संख्या-299/2024 अनेश जोशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-178/2024/3787/22-2-2023-17(1347)/2023

दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनेश जोशी पुत्र श्री रामस्वरूप जोशी, ग्राम-बस्वारी, थाना-मुस्करा, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। दिनांक 18.12.1999 को अभियुक्तगण बदमाश ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल सवारों को रास्ते में लूट रहे थे, उसी समय बदमाशों व पुलिस में मुठभेड़ हुई, बन्दी ने 03 सहजभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से गोली मारकर सब इन्सपेक्टर नन्दलाल राय की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-70/2000 में भा0द0वि0 की धारा-396 व 2-बी. 10/12 डी.ए.ए एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०से०) कोर्ट सं0-01, महोबा के आदेश दिनांक 29.01.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.11.2008 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया।(2) केस नं0-968/2006 धारा-25 आर्म्स एक्ट में मा0 ए.सी.जे.एम. हमीरपुर द्वारा 01 वर्ष, 06 माह का कारावास। (3) केस नं0-1674/2006 धारा-25 आर्म्स एक्ट में मा0 ए.सी.जे.एम. हमीरपुर द्वारा 01 वर्ष का कारावास।(4) केस नं0-12/2004 में भा0द0वि0 की धारा-411 में मा0 स्पेशल जज डी.डी.ए एक्ट, हमीरपुर द्वारा 03 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 07.06.2023 तक 17 वर्ष, 01 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष, 01 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2020 क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) में प्रेषित की गयी है, बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, रिहा होने पर पुनः अपराध में संलिप्त होकर शांति भंग कर सकता है। जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 18.12.1999 को अभियुक्तगण बदमाश ट्रैक्टर व मोटर साइकिल सवारों को रास्ते में लूट रहे थे। उसी समय बदमाशों व पुलिस में मुठभेड़ हुई, बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से गोली मारकर सब इन्सपेक्टर नन्दलाल राय की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अनेश जोशी पुत्र रामस्वरूप जोशी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in